झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

का0आ0सं0–2/स0प्र0पदा0स्था0–34/2019....572..../**राँची, दिनांक** ..03.05.2023..

आदेश

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1916/वि0 दिनांक–20.07.2022 एवं अनुवर्ती आदेशों में निहित प्रावधान के अनुसार कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, राँची एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के अराजपत्रित कर्मी (जिनकी नियमावली अबतक गठित नहीं है) को 10, 20 एवं 30 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण होने के उपरान्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ACP)/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के अन्तर्गत देय लाभ की स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग कमिटि का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:–

1.	निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2.	उप सचिव/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची	सदस्य
3.	वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी	सदस्य
4.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी	सदस्य
5.	संयुक्त निबंधक/उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (स्थापना प्रभारी) कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची	सदस्य

2. उक्त स्क्रीनिंग कमिटि, जो कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची एवं उनके अधीन क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत शेष सभी अन्य अराजपत्रित पदों (झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षण संवर्ग एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग को छोड़कर) की नियमावली गठित होने तक ही प्रभावी रहेगी।

3. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

3.5.2023

(सतीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–2/स0प्र0पदा0स्था0–34/2019....572.... /**राँची, दिनांक** ..03.05.2023..

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/उप सचिव/अवर सचिव, प्रभारी अराजपत्रित स्थापना शाखा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची/संयुक्त निबंधक/उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (स्थापना प्रभारी) कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.5.2023

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–2/स0प्र0पदा0स्था0–34/2019....572.... /**राँची, दिनांक** ..03.05.2023..

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, देवघर एवं राँची/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.5.2023

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\S.Murmu\2023-24\Order (2023-24).docx